

५ पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर
वहस वकील वादी हुकी गयी। वास्ते
अपेक्ष पत्रावली दिनांक 24/4/2025
को पेश हो।

24/4 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी
उपर दावा वादी डिक्री किया जाता है
मिर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली किया गया। पत्रावली केसल
शुमार होकर नम्बर से कम होकर
दफ्तर दायिल हो।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)



डिकरी व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत
व इजलास

उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना
राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.) : उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

सुशीला देवी वगै०
-वादीगण-

बनाम

भूमिधारी
-प्रतिवादी-

वाद बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरुस्ती

मुकदमा नं. 58 सन् 2024

जी.सी.एम.एस. नं.- 2024/931

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना व हाजरी श्री फतेह सिंह एडवोकेट वादी मिनजानिब मुद्दई व एडवोकेट प्रतिवादी - मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि खाता संख्या 417 में दर्ज खसरा नम्बर 1178, 806, 956, 957, 996 कुल किता 5 कुल रकबा 1.63 हैक्ट. का खातेदार मोहनलाल पुत्र मांगू के स्थान पर मोहनलाल पुत्र मामराज दर्ज किया जावे। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों।

निज.....×.....मुबलिंग.....×.....बाबत.....×.....

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....×.....फीसदी सलाना

आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....×.....को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 24 माह 04 सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर



दस्तखत

उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना
उपखण्ड अधिकारी

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	नीमकाथाना	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			
मिजान			मीजान			

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।